

# WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY



## MASIK PATRIKA FEBRUARY 2026

✉:wupcci01@gmail.com

wupcc23@yahoo.com

☎: 0121-2661177

0121-4346686

Website: [www.wupcc.org](http://www.wupcc.org)

Address: Bombay Bazar,

Meerut Cantt- 250001

➤ **Patron**

**Dr. Mahendra Kumar Modi**

**Dr. Ram Kumar Gupta**

➤ **President**

**Dr. Brij Bhushan**

➤ **Sr. Vice President**

**Shri Ajay Gupta**

➤ **Jr. Vice President**

**Shri Girish Kumar**

**Shri Rahul Gupta**

➤ **Secretary / Editor**

**Smt Sarita Agarwal**

**Patrika Committee**

➤ **Chairman**

**Shri Rahul Das**

➤ **Co-Chairman**

**Shri Ravi Maheshwari**

➤ **Members**

**Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)**

**Shri Rakesh Kohli**

**Shri Trilok Anand**

**Shri Rajendra Singh**

**Shri Atul Bhushan Gupta**

➤ **Co-Editor**

**Ms. Khushi**

# INDEX

- नया आयकर अधिनियम 2025: क्या बदला और क्या अपरिवर्तित रहा?
- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने MSME निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) के तहत सात नए उपाय लॉन्च किए
- अब कस्टम से तुरंत क्लीयर होगा माल, नियमों में हो रहा बड़ा बदलाव
- भारत के MSMEs के लिए AI एक रणनीतिक विकास इंजन के रूप में उभर रहा है: CII
- मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डाला और जापानी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया।
- भारत-कजाकिस्तान ने यूरेनियम आपूर्ति साझेदारी का नवीनीकरण किया
- लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने राष्ट्रीय लघु एवं मध्यम उद्यम परिषद की 5वीं बैठक आयोजित की
- भारत-इजराइल मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की वार्ता शुरू, साल के अंत तक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना।
- Railway Projects Are Planned Zone-Wise, Not State-Wise: Minister
- India signs DPI cooperation agreements with 23 countries; UPI goes live in eight nations
- US, EU trade deals put India at centre of global economy, says PM
- RBI Proposes Doubling Collateral-Free MSME Loan Limit To Rs 20 Lakh From April 2026
- India Inc Salary Hikes Expected To Average 9.1% In 2026 Amid Skills-Based Pay Shift: EY India Report
- Ministry of Corporate Affairs Notifies Companies Compliance Facilitation Scheme, 2026
- Customs procedures must enable faster global market access for exporters: Revenue Secretary

## नया आयकर अधिनियम 2025: क्या बदला और क्या अपरिवर्तित रहा?

इस अधिनियम का उद्देश्य 1961 के जटिल आयकर अधिनियम को सरल बनाना है। नए कानून का लक्ष्य कर प्रावधानों को सरल बनाना, अनावश्यक धाराओं को हटाना और बदलती प्रौद्योगिकी और आर्थिक परिवेश के अनुरूप चलना है। नया आयकर अधिनियम 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।

### बजट 2026 अपडेट

- बजट में प्रस्तावित अनुसार आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा
- गैर-लेखापरीक्षा मामलों के लिए आईटीआर-3 और आईटीआर-4 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।
- संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि मौजूदा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है।

### मुख्य अद्यतन - आयकर अधिनियम 2025 बनाम मौजूदा अधिनियम

600 पृष्ठों, 536 धाराओं, 23 अध्यायों और 16 अनुसूचियों में फैले नए आयकर अधिनियम 2025 में व्यापक प्रावधान हैं, फिर भी इन्हें समझना आसान है और इनका उद्देश्य अनुपालन प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। करदाताओं और कर अधिकारियों दोनों के लिए इसे पढ़ना और समझना आसान है, जिससे करदाताओं में अधिक निश्चितता आएगी और करदाताओं तथा राजस्व प्राधिकरण के बीच मुकदमेबाजी कम होगी।

नए आयकर अधिनियम में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

#### अनुपालन में आसानी:

नया आयकर अधिनियम करदाताओं और आयकर अधिकारियों दोनों के लिए अनुपालन को आसान बनाएगा। इसमें अधिक संरचित और सुव्यवस्थित कर प्रशासन प्रक्रिया है और इसमें आधुनिक अनुपालन तंत्रों का उपयोग शामिल है।

#### तलाशी मामलों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डेटा तक पहुंच:

- चूंकि वर्तमान समय में डिजिटल क्षेत्र में लेनदेन और संपत्ति संचय अधिक आम हो गया है, इसलिए अधिनियम में तलाशी अभियानों के तहत अतिरिक्त प्रावधान शामिल किए गए हैं।
- प्रस्तावित अधिनियम के अनुसार, करदाता को किसी भी आभासी स्थान खोज अधिकारी को पहुंच प्रदान करनी होगी। उसे आवश्यकतानुसार अन्य सहायता भी प्रदान करनी होगी जो अधिकारी को खोज अभियान चलाने में मदद करेगी।
- इसमें सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल सर्वर, क्लाउड स्टोरेज डेटा और किसी भी ट्रेडिंग या निवेश खाते तक पहुंच शामिल है।

### नए आयकर अधिनियम का उद्देश्य

2024 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम, 1961 की संपूर्ण समीक्षा करने के सरकार के इरादे का खुलासा किया। इस समीक्षा के माध्यम से अधिनियम को अधिक संक्षिप्त बनाया जाना था ताकि करदाता इसे आसानी से पढ़ और समझ सकें। मंत्री जी द्वारा उल्लिखित प्राथमिक उद्देश्य कर प्रणाली से जुड़े विवादों और मुकदमों को कम करना है। सरकार करदाताओं के लिए स्पष्टता और अनुपालन में आसानी प्रदान करने के वादे के साथ कर संबंधी निश्चितता को बढ़ाएगी।

घोषणा के बाद, आयकर विभाग ने एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू की, जहाँ करदाता नए कानून में उन बदलावों का प्रस्ताव दे सकते थे जो वे देखना चाहते थे। इस कदम ने जनता की राय में सरकार की रुचि और कर सुधार के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण दिखाया।

वित्त मंत्री ने 2025 के बजट में आश्वासन दिया था कि नया आयकर अधिनियम जल्द ही लाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसमें वही न्याय का सिद्धांत समाहित होगा जो भारतीय न्याय संहिता का मूल है। इस कानून ने जुलाई 2024 से 1860 की भारतीय दंड संहिता को निरस्त कर दिया है। यह सुधार, निष्पक्षता और न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है।

### कर वर्ष की अवधारणा:

कर वर्ष का अर्थ वित्तीय वर्ष के बारह महीने की अवधि है जो 1 अप्रैल से शुरू होती है। इसे वित्तीय वर्ष और मूल्यांकन वर्ष की अवधारणाओं के स्थान पर लागू किया गया है, जिससे भ्रम की स्थिति कम होती है।

### आभासी डिजिटल परिसंपत्ति:

- आयकर अधिनियम 2025 आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों की अधिक व्यापक परिभाषा देता है
- अब इस परिभाषा में क्रिप्टो-संपत्तियां, गैर-परिवर्तनीय टोकन या सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य डिजिटल संपत्ति शामिल है।

### विवाद समाधान पैनल का संदर्भ:

- यदि मूल्यांकन आदेश का मसौदा कर कर भुगतान पाने वाला व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है, तो वह मामले को विवाद समाधान पैनल के पास भेज सकता है, खासकर यदि मूल्यांकन आदेश अनिवासियों, विदेशी कंपनियों और ट्रांसफर प्राइसिंग से संबंधित मामलों से जुड़ा हो।
- विवाद समाधान पैनल से संबंधित सभी प्रावधान नए अधिनियम में भी बरकरार रखे गए हैं।
- लेकिन एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि विवाद समाधान पैनल को निर्देश जारी करने चाहिए, जिसमें निर्धारण के बिंदु, लिए गए निर्णय और ऐसे निर्णयों के कारण बताए गए हों।

### अघोषित आय:

नए अधिनियम में, अघोषित आय में वर्चुअल डिजिटल एसेट भी शामिल है

### कर वसूली और अपील:

इस अधिनियम में कर वसूली और अपील प्रक्रियाओं में सुधार लाने वाले प्रावधान शामिल हैं।

### संक्षिप्त सामग्री और समझने में आसान:

- आयकर अधिनियम 2025 में अधिक धाराएँ और समान संख्या में अध्याय होने के बावजूद, आयकर अधिनियम 1961 की तुलना में सामग्री और शब्दों के मामले में यह छोटा है।
- इसका उद्देश्य विषयवस्तु को सरल बनाना और उसे समझना बेहद आसान बनाना है।

### नए आयकर अधिनियम के लाभ

**कम जटिलता:** उम्मीद है कि नया आयकर अधिनियम करदाताओं के लिए उपलब्ध कटौतियों और छूटों की संख्या को कम करके कर संरचना को सरल बनाएगा।

**अनुपालन में वृद्धि:** इससे कर कानूनों को सुव्यवस्थित किया जाएगा और कानूनी अस्पष्टताओं को कम किया जाएगा।

**उदार कर दरें:** यह अधिनियम एक राहतपूर्ण कर संरचना प्रदान करता है जो करदाता के हाथों में अधिक धन की बचत सुनिश्चित करता है।

**कानूनी विवादों में कमी:** कर कानूनों के सरलीकरण से व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए मुकदमेबाजी का बोझ काफी हद तक कम होने की उम्मीद है।

## केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने MSME निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) के तहत सात नए उपाय लॉन्च किए

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) के तहत सात अतिरिक्त उपायों को लॉन्च किया। ईपीएम वाणिज्य विभाग की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को वैश्विक बाजारों के लिए सशक्त बनाना है।

इन उपायों का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना, व्यापक और समावेशी निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निर्यात शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करना है।

केंद्र ने जिन सात अतिरिक्त उपायों को लॉन्च किया है, उनमें वैकल्पिक व्यापार साधनों (निर्यात फैक्ट्रिंग) के लिए सहायता, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण सहायता, उभरते निर्यात अवसरों के लिए सहायता, व्यापार विनियम, प्रत्यायन एवं अनुपालन सक्षमीकरण (टीआरएसीई), लॉजिस्टिक्स, ओवरसीज वेयरहाउसिंग एंड फुलफिलमेंट की सुविधा प्रदान करना (एफएलओडब्ल्यू), माल ढुलाई एवं परिवहन हेतु लॉजिस्टिक्स उपाय (एलआईएफटी) और व्यापार खुफिया एवं सुगमीकरण के लिए एकीकृत सहायता (इनसाइट) शामिल हैं।

वैकल्पिक व्यापार साधनों (निर्यात फैक्ट्रिंग) के लिए सहायता के तहत लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए किफायती कार्यशील पूंजी समाधान के रूप में निर्यात फैक्ट्रिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।

आरबीआई/आईएफएससीए द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से किए गए पात्र लेनदेन पर फैक्ट्रिंग लागत पर 2.75 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सहायता की अधिकतम सीमा प्रति एमएसएमई 50 लाख रुपए सालाना है

और पारदर्शिता और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए इसे डिजिटल दावा तंत्र के माध्यम से संसाधित किया जाएगा।

ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण सहायता के तहत डिजिटल चैनलों का उपयोग करने वाले निर्यातकों को सहयोग देने के लिए, ब्याज सब्सिडी और आंशिक ऋण गारंटी के साथ संरचित ऋण सुविधाएं आरंभ की गई हैं। डायरेक्ट ई-कॉमर्स क्रेडिट फैसिलिटी के तहत 90 प्रतिशत गारंटी कवरेज के साथ 50 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। ओवरसीज इन्वेंटरी क्रेडिट फैसिलिटी के तहत 75 प्रतिशत गारंटी कवरेज के साथ 5 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। प्रति आवेदक 15 लाख रुपए की वार्षिक सीमा के अधीन, 2.75 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध होगी।

उभरते निर्यात अवसरों के लिए सहायता के अंतर्गत निर्यातकों को विभिन्न साझा जोखिम और ऋण साधनों के माध्यम से नए या उच्च जोखिम वाले बाजारों तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाया जाएगा। इन संरचित तंत्रों का उद्देश्य निर्यातकों के आत्मविश्वास और तरलता प्रवाह को सुदृढ़ करना है।

टीआरएसीई निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण, निरीक्षण, प्रमाणन और अन्य अनुरूपता आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है। पात्र परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन व्यय के लिए सकारात्मक सूची के अंतर्गत 60 प्रतिशत और प्राथमिकता सकारात्मक सूची के अंतर्गत 75 प्रतिशत की आंशिक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, जो प्रति आईईसी 25 लाख रुपए की वार्षिक सीमा के अधीन है।

एफएलओडब्ल्यू निर्यातकों को ओवरसीज वेयरहाउसिंग और फुलफिलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच बनाने में सहायता करता है, जिसमें वैश्विक वितरण नेटवर्क से जुड़े ई-कॉमर्स निर्यात हब शामिल हैं। स्वीकृत परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक की सहायता अधिकतम तीन वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी, जो निर्धारित सीमाओं और एमएसएमई भागीदारी मानदंडों के अधीन है।

एलआईएफटी निम्न निर्यात तीव्रता वाले जिलों में निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली भौगोलिक कठिनाइयों को कम करता है। पात्र माल दुलाई व्यय के 30 प्रतिशत तक की आंशिक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, जो प्रति वित्तीय वर्ष प्रति निर्यातक के लिए 20 लाख रुपए की सीमा के अधीन होगी।

इनसाइट, निर्यातकों की क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करता है, जिलों को निर्यात केंद्र पहल के तहत जिलों और क्लस्टर स्तर पर सुविधा प्रदान करता है, और व्यापार खुफिया प्रणालियों का विकास करता है। वित्तीय सहायता परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों और विदेशों में भारतीय दूतावासों से प्राप्त प्रस्तावों के लिए अधिसूचित सीमाओं के अधीन 100 प्रतिशत तक सहायता प्रदान की जाती है।

इससे पहले तीन उपाय - बाजार पहुंच सहायता, निर्यात ऋण के लिए पूर्व और पश्चात शिपमेंट पर ब्याज सब्सिडी और निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक सहायता - पहले से ही कार्यान्वयन के अधीन हैं। इस शुभारंभ के साथ, ईपीएम के तहत प्रस्तावित 11 उपायों में से 10 अब प्रचालनगत हैं।

## अब कस्टम से तुरंत क्लीयर होगा माल, नियमों में हो रहा बड़ा बदलाव

कस्टम क्लीयरेंस के नाम पर कारोबारियों के माल को अब पोर्ट पर महीनों तक नहीं रखा जा सकेगा। बजट में कारोबार को सरल बनाने के लिए कस्टम नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है और कुछ प्रस्ताव अभी तैयार हो रहे हैं। जल्द ही उनके ड्राफ्ट जारी होने वाले हैं।

कस्टम क्लीयरेंस में विलंब होने से मैनुफैक्चरिंग प्रभावित होता है। कई बार उद्यमियों के कच्चे माल क्लीयरेंस में फंस जाते हैं और महीनों अटके रह जाते हैं। इससे उनकी लागत बढ़ती है। वित्त मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक उद्यमियों के साथ एक भरोसे के साथ काम करने का फैसला किया गया है।

### क्यों लग जाता है समय?

ईओ की संख्या काफी सीमित है और वे सीधे तौर पर मैनुफैक्चरिंग का काम नहीं करते हैं। कस्टम क्लीयरेंस में दूसरा बड़ा बदलाव माल की चेकग से जुड़ा है। अभी विदेश से आने वाले किसी माल पर शक होने पर उस माल को कस्टम गोदाम मेले जाकर चेक किया जाता है और इस काम में काफी समय लग जाता है।

कस्टम गोदाम में माल की हिफाजत ठीक से नहीं होने पर कई बार वह माल बाद में इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाता है। वित्त मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक अब कस्टम अधिकारी किसी माल को चेक करना चाहते हैं तो वह उद्यमियों की यूनिट में जाकर करेंगे।

### कब क्लीयर माना जाएगा माल?

सरकार भरोसेमंद मैनुफैक्चरर्स आयातक की सूची जारी करेंगे जिन्हें सरकार की विभिन्न एजेंसियों की तरफ सत्यापित किया जाएगा। इस सूची में शामिल आयातकों के माल पोर्ट पर आते ही उसे क्लीयर मान लिया जाएगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक मान लीजिए कोई निर्माता ऐसे आइटम को बनाता है और उसके कच्चे माल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की निगरानी में आते हैं तो एफएसएसएआई उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर योग्यता का एक सर्टिफिकेट जारी करेगा और वे फिर भरोसेमंद आयातक की सूची में शामिल हो जाएंगे।

इस प्रकार के आयातक कस्टम ड्यूटी दिए बगैर भी अपना माल ले जा सकेंगे, लेकिन एक माह के अंदर उन्हें ड्यूटी का भुगतान करना होगा। अभी ऑथराइज्ड इकोनामिक ऑपरेटर्स (ईओ) को बिना भुगतान किए पोर्ट से माल ले जाने की छूट है, लेकिन यह छूट उन्हें 15 दिनों की है।

### दो साल तक रखी जाएगी रिकॉर्डिंग

अमेरिका में यही प्रणाली है। मतलब माल के आने के बाद उद्यमी उस माल को तुरंत ले जाने के लिए स्वतंत्र होंगे और अगर उस माल को चेक करना है तो अधिकारियों को यूनिट में जाना होगा। अधिकारी माल की चेकिंग शरीर में कैमरा लगाकर करेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग दो साल तक रखी जाएगी। धीरे-धीरे कस्टम से जुड़े हर काम को मशीन से जोड़ दिया जाएगा।

हर जगह स्कैनर लगेंगे और पोर्ट पर मैनुअल रूप से चेकिंग की प्रणाली पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक कस्टम क्लीयरेंस से जुड़े नियमों में जल्द ही कई ऐसे बदलाव भी किए जाएंगे जिनकी घोषणा बजट में नहीं की गई है।

# भारत के MSMEs के लिए AI एक रणनीतिक विकास इंजन के रूप में उभर रहा है: CII

**भारतीय उद्योग परिसंघ** (सीआईआई) द्वारा जारी एक लेख के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को तेजी से बदल रही है, बड़े निगमों और तकनीकी स्टार्टअप से आगे बढ़कर उत्पादकता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक बन रही है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) अपने संचालन को सुव्यवस्थित करने, दोहराव वाले कार्यों को स्वचालित करने, ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने और डेटा-आधारित निर्णय लेने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। उद्योग के जानकारों का मानना है कि एआई को अपनाना अब कोई वैकल्पिक अपग्रेड नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर विस्तार और प्रतिस्पर्धा करने के इच्छुक छोटे व्यवसायों के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता बन गया है।

## उत्पादकता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना

एआई उपकरण लघु एवं मध्यम उद्यमों को दक्षता बढ़ाने, परिचालन लागत कम करने और राजस्व के नए स्रोत खोलने में मदद कर रहे हैं। विनिर्माण में भविष्यसूचक विश्लेषण से लेकर खुदरा और सेवा क्षेत्र में एआई-संचालित ग्राहक अंतर्दृष्टि तक, यह तकनीक त्वरित और बेहतर निर्णय लेने में सहायक सिद्ध हो रही है।

2024 में, भारतीय लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ने एआई और मशीन लर्निंग (एमएल) को अपनाने में तेजी लाई, जिसे इंडिया एआई मिशन जैसी नीतिगत पहलों का समर्थन प्राप्त था, जो एआई उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और प्रतिभा विकास को मजबूत करने पर केंद्रित है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और NASSCOM के बीच एक सहयोगात्मक पहल, FutureSkills PRIME जैसे कार्यक्रम उभरती प्रौद्योगिकियों में कार्यबल के कौशल को बढ़ाने और डिजिटल परिवर्तन प्रयासों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित फिनटेक समाधान वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। वैकल्पिक डेटा और बुद्धिमान क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल का लाभ उठाकर, ये उपकरण लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण और किफायती वित्तपोषण प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं, विशेष रूप से उन उद्यमों को जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों के साथ चुनौतियों का सामना करते हैं।

## कानूनी और नैतिक चुनौतियों का सामना करना

हालांकि एआई महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, लेकिन लघु एवं मध्यम उद्यमों को नियामक और नैतिक पहलुओं पर ध्यान देना होगा। पेटेंट आविष्कारक, बौद्धिक संपदा, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और संभावित उल्लंघन जोखिमों से संबंधित मुद्दों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन आवश्यक है।

उद्योग जगत के संगठनों ने सिफारिश की है कि लघु एवं मध्यम उद्यमों को 'विश्वसनीयता-आधारित' दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें एआई के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाए।

व्याख्या योग्य एआई मॉडल, ओपन-सोर्स टूलकिट और ओईसीडी एवं यूनेस्को के एआई सिद्धांतों से प्रेरित फ्रेमवर्क का उपयोग करके, जिम्मेदार तरीके से एआई को अपनाना सुनिश्चित किया जा सकता है। नैतिक और अनुपालन योग्य एआई उपयोग को प्राथमिकता देकर, लघु एवं मध्यम उद्यम कानूनी जोखिमों को कम कर सकते हैं और ग्राहकों, निवेशकों एवं वैश्विक भागीदारों के साथ विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं।

## कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भारत की 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की महत्वाकांक्षा

प्रौद्योगिकी को अपनाकर लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मजबूत बनाना, 2030 तक भारत की 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा का केंद्र बिंदु है।

अनुमानों के अनुसार, लघु एवं मध्यम उद्यमों में एआई के प्रभावी एकीकरण से 490 अरब अमेरिकी डॉलर से लेकर 685 अरब अमेरिकी डॉलर तक का आर्थिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, इस क्षमता को हासिल करने के लिए उद्योग संघों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, वित्तीय संस्थानों और नीति निर्माताओं के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी। किफायती कंप्यूटर अवसंरचना, अंतरसंचालनीय डिजिटल प्रणालियाँ, लक्षित कौशल विकास पहल और सहायक नियामक ढांचे एआई उपकरणों तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होंगे।

उचित सुरक्षा उपायों और समर्थन के साथ, एआई एक उभरते नवाचार से भारत के लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के एक मूलभूत चालक के रूप में विकसित हो सकता है, जिससे उन्हें तेजी से एआई-संचालित वैश्विक अर्थव्यवस्था में विस्तार करने, नवाचार करने और प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया जा सके।

## मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डाला और जापानी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और प्रति व्यक्ति आय पिछले नौ वर्षों में तीन गुना हो गई है, जिससे यह भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई है। उन्होंने जापानी कंपनियों को राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, टोक्यो में उत्तर प्रदेश निवेश रोडशो को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डों के तेजी से विस्तार के कारण राज्य देश के लिए एक प्रमुख विकास इंजन बन रहा है।

### सांस्कृतिक संबंध और पर्यटन को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भगवान राम की जन्मभूमि है और कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर जैसे प्रमुख बौद्ध स्थलों का घर है।

उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रामायण और बौद्ध सर्किट जैसी पहल विकसित की जा रही हैं।

### बनियादी ढांचे और प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें

मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और लॉजिस्टिक्स में निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला और जापानी कंपनियों से 'खेत से बाजार तक' मूल्यवर्धन में भाग लेने का आग्रह किया।

उन्होंने राज्य के प्रचुर मीठे पानी के भंडार की ओर भी इशारा किया, जो कृषि के साथ-साथ हरित हाइड्रोजन और पंप भंडारण परियोजनाओं जैसे उभरते क्षेत्रों का समर्थन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य की 56 प्रतिशत आबादी कामकाजी उम्र वर्ग में है, इसलिए यह विभिन्न क्षेत्रों में कुशल और किफायती मानव संसाधन का एक बड़ा भंडार प्रदान करता है।

## भारत-कजाकिस्तान ने यूरेनियम आपूर्ति साझेदारी का नवीनीकरण किया

संसाधनों से समृद्ध कजाकिस्तान, जो विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ने भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को ईंधन प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए एक नए अनुबंध के तहत भारत को यूरेनियम की एक महत्वपूर्ण मात्रा की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की है।

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ हाल ही में हुई चर्चा के बाद कजाटोमप्रोम ने यह घोषणा की।

### कजाटोमप्रोम के बारे में

कजाटोमप्रोम यूरेनियम खनन, दुर्लभ धातुओं के प्रसंस्करण और बेरिलियम और टैंटलम उत्पादों के उत्पादन और बिक्री में लगी हुई है।

कंपनी अपने उत्पादों का 100 प्रतिशत वैश्विक स्तर पर निर्यात करती है। यह कंपनी मुख्य रूप से राज्य के नियंत्रण में है, जिसमें कजाकिस्तान के संप्रभु धन कोष, समरुक-कजीना की 62.99 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि कजाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की 12.01 प्रतिशत हिस्सेदारी है और शेष 25 प्रतिशत हिस्सेदारी मुक्त रूप से उपलब्ध है।

नवीनीकृत यूरेनियम आपूर्ति समझौते से भारत के परमाणु ऊर्जा विस्तार के लिए स्थिर ईंधन सहायता मिलने की उम्मीद है, जो देश की स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

### परमाणु ईंधन साझेदारी का नवीनीकरण

भारत और कजाकिस्तान पिछले अनुबंध की समाप्ति के कुछ वर्षों बाद से यूरेनियम आपूर्ति के एक नए समझौते पर बातचीत कर रहे थे। हाल के महीनों में बातचीत में तेजी आई और परिणामस्वरूप यह नया समझौता हुआ।

दोनों देशों का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का लंबा इतिहास रहा है। जनवरी 2009 में, कजाटोमप्रोम ने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के साथ 2,100 टन यूरेनियम की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

जुलाई 2015 में, इसने भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ 2015-2019 के दौरान 5,000 टन यूरेनियम की आपूर्ति करने के लिए एक और समझौता किया।

यह नया अनुबंध दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा संबंधों को मजबूत करता है और भारत के बढ़ते परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को समर्थन देता है।

## लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने राष्ट्रीय लघु एवं मध्यम उद्यम परिषद की 5वीं बैठक आयोजित की

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) ने 24 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद की पांचवीं बैठक आयोजित की, जिसमें मंत्री जीतन राम ने राज्यों से इस प्रमुख क्षेत्र के विकास के लिए काम करने का आग्रह किया।

राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद विश्व बैंक समर्थित रैंप कार्यक्रम के प्रशासनिक और परिचालन निकाय के रूप में कार्य करती है। यह अंतर-मंत्रालयी समन्वय, केंद्र-राज्य समन्वय की देखरेख करती है और एमएसएमई क्षेत्र में सुधारों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

रैंप कार्यक्रम का उद्देश्य एमएसएमई की बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र और राज्य स्तर पर संस्थागत क्षमता और शासन को मजबूत करना, केंद्र-राज्य समन्वय को बढ़ाना, विलंबित भुगतानों का समाधान करना और एमएसएमई के हरितकरण को बढ़ावा देना है।

**बैठक की अध्यक्षता जीतन राम मांझी ने की**  
अपने संबोधन में, मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एमएसएमई प्रोत्साहन और विकास की दिशा में प्रयास तेज करने का आग्रह किया ताकि आय सृजन और रोजगार को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने एमएसएमई की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, केंद्र और राज्य की पहलों के बीच सहयोग को मजबूत करने और समावेशी एवं सतत विकास में तेजी लाने पर जोर दिया। मंत्री महोदय ने MSME प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्लेटफार्म (MTTP) का भी शुभारंभ किया, जो एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्म है और MSME को उन्नत प्रौद्योगिकियों, परीक्षण सुविधाओं, कौशल विकास सहायता और बौद्धिक संपदा के व्यावसायीकरण में सहायता प्रदान करता है। उन्होंने समावेशी और आत्मनिर्भर विकास सुनिश्चित करने के लिए महिला स्वामित्व वाले उद्यमों और हाशिए पर स्थित समुदायों के MSME को समर्थन बढ़ाने के महत्व पर बल दिया।

**त्वरित कार्यान्वयन का आह्वान:**  
अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश ने पिछले चार वर्षों में MSME क्षेत्र की वृद्धि को रेखांकित किया। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुमोदित RAMP परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और राष्ट्रीय MSME विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए MSME योजनाओं का अधिकतम उपयोग करने का आग्रह किया। राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद की पांचवीं बैठक ने देश भर में एमएसएमई के प्रदर्शन को गति देने के लिए संरचनात्मक सुधारों, डिजिटल एकीकरण, स्थिरता और समावेशी विकास पर केंद्र के फोकस को मजबूत किया।

### विश्व बैंक का निरंतर समर्थन:

विश्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक सेबेस्टियन एकार्डिट ने RAMP के तहत बैंक की साझेदारी की पुष्टि की। उन्होंने हरित पहलों, लैंगिक समावेशन, वित्त तक बेहतर पहुंच और ऑनलाइन विवाद समाधान जैसे नवाचारों के लिए समर्थन पर प्रकाश डाला। उन्होंने निजी पूंजी जुटाने, उद्यम प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने और पूरे भारत में सतत रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में भी रुचि व्यक्त की।

## भारत-इजराइल मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की वार्ता शुरू, साल के अंत तक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना।

प्रधानमंत्री की 25-26 फरवरी को मध्य पूर्व देश की यात्रा के साथ ही भारत-इजराइल मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए वार्ता का पहला दौर शुरू हो गया है। इस दौर के दौरान, दोनों पक्षों के तकनीकी विशेषज्ञ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के विभिन्न पहलुओं जैसे कि वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, उत्पत्ति के नियम, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, सीमा शुल्क प्रक्रिया और व्यापार सुविधा तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों को कवर करने वाले सत्रों में भाग लेंगे। भारत और इजराइल ने नवंबर 2025 में संदर्भ की शर्तों (टीओआर) पर हस्ताक्षर किए थे, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में चर्चा के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करते हैं। भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने संकेत दिया है कि वार्ता का पहला दौर आने वाले हफ्तों में पूरा हो जाएगा और साल के अंत तक एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

### द्विपक्षीय व्यापार का संक्षिप्त विवरण

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और इजराइल के बीच कुल व्यापारिक संबंध 3.62 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गए। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में पूरकता है, और प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) से व्यवसायों को निश्चितता और पूर्वानुमान प्रदान करने, द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह को बढ़ावा देने, लघु एवं मध्यम उद्यमों को नए बाजारों तक पहुंच बनाने में सहायता करने और दीर्घकालिक आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद है।

## नेतृत्व परिप्रेक्ष्य

नई दिल्ली में व्यापार वार्ता के उद्घाटन सत्र के दौरान, भारत के वाणिज्य सचिव ने कहा कि ये वार्ताएं एक उपयुक्त समय पर हो रही हैं, जो नवाचार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, उच्च-तकनीकी विनिर्माण, कृषि और सेवाओं में महत्वपूर्ण अवसरों को उजागर करती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुक्त व्यापार समझौते दोनों देशों को इन अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। भारत के मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव अजय भादू ने एक विकसित होती साझेदारी के लिए संतुलित और दूरदर्शी ढांचा तैयार करने के महत्व पर जोर दिया। इजरायल की ओर से, मुख्य वार्ताकार यिफात एलोन पेरेल, जो इजरायल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्रालय में वरिष्ठ निदेशक (व्यापार नीति और समझौते) और उप व्यापार आयुक्त हैं, ने कहा कि एफटीए में आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने, सहयोग को गहरा करने और दोनों देशों के लिए नए बाजार खोलने की क्षमता है।

## रणनीतिक महत्व

वार्ता की शुरुआत भारत-इजराइल द्विपक्षीय संबंधों के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करती है और राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और वैश्विक आकांक्षाओं के अनुरूप आर्थिक साझेदारी को गहरा करने के लिए भारत के व्यापक प्रयासों को दर्शाती है। दोनों पक्ष व्यापार विस्तार, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं।

## Railway Projects Are Planned Zone-Wise, Not State-Wise: Minister

Railway projects in India are planned, sanctioned and executed on a zonal basis rather than state-wise, as several projects span multiple state boundaries, the Lok Sabha was informed.

In a written reply, Union Minister for Railways said that the sanctioning of railway projects is based on a range of parameters, including financial viability, traffic projections, last-mile connectivity, elimination of missing links, creation of alternative routes, and capacity augmentation on congested or saturated sections.

"Consideration is also given to demands raised by state governments, central ministries, Members of Parliament and other public representatives, along with the Railways' operational requirements and broader socio-economic factors, including connectivity to aspirational districts and border areas," he said. The pace of project sanctioning is further linked to the progress of ongoing works and the overall availability of funds, it was noted.

As of April 1, 2025, a total of 431 railway infrastructure projects have been sanctioned across Indian Railways, covering a cumulative length of 35,966 km at an estimated cost of about Rs 6.75 lakh crore. These include 154 new line projects, 33 gauge conversion

projects and 244 doubling or multi-tracking projects. Of the total sanctioned length, 12,769 km has been commissioned, with expenditure of approximately Rs 2.91 lakh crore incurred up to March 2025.

Category-wise, new line projects account for 16,142 km, of which 3,036 km has been commissioned. Gauge conversion projects span 4,180 km, with 2,997 km completed, while doubling and multi-tracking projects cover 15,644 km, of which 6,736 km has been commissioned.

The minister highlighted a significant increase in the pace of track commissioning over the years. During the 2009–14 period, Indian Railways commissioned 7,599 km of new track, averaging 4.2 km per day. This rose to 34,428 km between 2014 and 2025, translating into an average of 8.57 km per day, more than double the earlier rate. The completion of railway projects depends on several external factors, including land acquisition by state governments, forest and statutory clearances, shifting of utilities, geological and topographical conditions, law and order situations at project sites, and the number of workable months in a year. These factors have a direct bearing on both project timelines and costs.

## India signs DPI cooperation agreements with 23 countries; UPI goes live in eight nations

India has signed Memorandum of Understanding (MoUs) and agreements with 23 countries to share and cooperate on its Digital Public Infrastructure (DPI), reinforcing the country's growing role as a global leader in digital governance and fintech innovation. The agreements aim to facilitate the replication and adoption of India's digital platforms under the India Stack framework, said Union Minister of State for Electronics and Information Technology in a written reply to Rajya Sabha.

According to the Ministry of Electronics and Information Technology, the MoUs focus on collaboration in key areas such as digital identity, digital payments, data exchange, and service delivery platforms. These partnerships form part of India's broader DPI diplomacy, which seeks to promote inclusive, scalable, and interoperable digital solutions among partner countries.

India's flagship digital payments platform, the Unified Payments Interface (UPI), is now operational in more than eight countries, including the United Arab Emirates, Singapore, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, France, Mauritius, and Qatar. Officials said the international rollout of UPI is facilitating cross-border remittances, enhancing financial inclusion, and strengthening India's position in the global fintech ecosystem.

In addition, India has signed specific MoUs with Cuba, Kenya, the United Arab Emirates, and Lao

People's Democratic Republic for cooperation on DigiLocker, the country's digital document storage and verification platform.

The government has also taken steps to globally showcase India's digital governance success. The India Stack Global portal serves as a gateway for partner countries to explore and adopt India's DPI solutions, providing access to 18 key digital platforms. Meanwhile, the Global DPI Repository, launched during India's G20 Presidency in 2023, acts as a global knowledge platform, with India contributing the largest number of DPI solutions.

India's Digital Public Infrastructure ecosystem includes platforms such as Aadhaar for digital identity, UPI for payments, DigiLocker for document management, CoWIN for vaccination services, GeM for government procurement, UMANG for citizen services, e-Sanjeevani for telemedicine, eCourts for judicial services, and PM GatiShakti for integrated infrastructure planning, among others.

The countries that have signed MoUs with India for DPI cooperation include Armenia, Sierra Leone, Suriname, Antigua and Barbuda, Papua New Guinea, Trinidad and Tobago, Tanzania, Kenya, Cuba, Colombia, Lao PDR, Saint Kitts and Nevis, Ethiopia, Jamaica, The Gambia, Fiji, Guyana, Venezuela, Sri Lanka, Brazil, Lesotho, Maldives and Mongolia.

## US, EU trade deals put India at centre of global economy, says PM

PM said that India's recent trade agreements have placed the country firmly at the centre of global economic attention, with major economies lining up to deepen commercial ties with New Delhi. Referring to agreements concluded with the European Union and the United States, the PM Modi said these partnerships had strengthened global confidence in India's economic direction.

PM underlined that India has already signed trade agreements with nine major economies, including what he described as the "mother of all deals" with the 27-nation European Union bloc. These agreements, he said, were designed to be future-ready, aligned with global supply chains and emerging economic realities.

The prime minister further stressed that the biggest beneficiaries of these trade deals would be India's youth. "The greatest beneficiaries of this (trade deals) will be the youth of our country. And when I speak of youth, I mean young people from the middle class, from cities, and from villages, sons as well as daughters. We should take pride in the immense capability of our nation's youth. Today, the global market has opened up for them. There are opportunities everywhere," he said.

India recently concluded the "mother of all deals" with the European Union, granting zero-duty access to 99% of Indian exports, including textiles and gems. Simultaneously, a historic trade reset with the United States is set to slash reciprocal tariffs from 50% to 18%.

## RBI Proposes Doubling Collateral-Free MSME Loan Limit To Rs 20 Lakh From April 2026

Reserve Bank of India (RBI) Governor announced a proposal to double the limit for collateral-free loans to micro, small and medium enterprises (MSMEs) from Rs 10 lakh to Rs 20 lakh.

The revised limit will apply to loans sanctioned or renewed from April 1, 2026, he said while presenting the Monetary Policy Committee statement.

At present, collateral-free MSME loans are provided under the Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), which covers manufacturing, services and allied sectors. These loans are categorised into Shishu (up to Rs 50,000), Kishore (Rs 50,001 to Rs 5 lakh) and Tarun (Rs 5 lakh to Rs 10 lakh), and do not require collateral or processing fees.

### Measures on Credit Flow and Financial Inclusion

The governor said the proposed increase in the loan limit is part of a broader set of measures aimed at improving credit flow, strengthening financial inclusion and supporting economic activity. He added that the RBI has undertaken a comprehensive review of the Lead Bank Scheme, the Kisan Credit Card Scheme and the Business Correspondent model, and draft revised guidelines will be issued.

A unified reporting portal will also be launched to improve management of Lead Bank Scheme data.

### Customer Protection and Digital Payments

On customer protection, He announced that the RBI plans to issue three draft guidelines covering mis-selling, recovery of loans and engagement of recovery agents, and limits on customer liability for unauthorised electronic transactions.

The central bank has also proposed a framework to compensate customers up to Rs 25,000 for losses arising from small-value fraudulent transactions.

The RBI will publish a discussion paper on enhancing the security of digital payments, with possible measures including delayed credits and additional authentication for specific user groups such as senior citizens.

### Banking and Financial Sector Reforms

To strengthen urban cooperative banks (UCBs), the governor announced measures including higher limits on unsecured loans and loans to nominal members, removal of certain tenor and moratorium conditions on housing loans for larger UCBs, and the launch of Mission-SAKSHAM to train more than 1.4 lakh UCB personnel.

For non-banking financial companies (NBFCs), Malhotra said entities without public funds or customer interface and with assets up to Rs 1,000 crore may be exempted from registration requirements. Certain NBFCs may also be exempted from seeking prior approval to open more than 1,000 branches

---

## India Inc Salary Hikes Expected To Average 9.1% In 2026 Amid Skills-Based Pay Shift: EY India Report

India Inc is projected to roll out an average salary increase of 9.1 per cent in 2026, as companies adopt sharper, skills-led pay strategies, according to the fourth edition of the Future of Pay report by EY India. The findings are based on inputs from 178 companies across 16 sectors.

### Sector-Wise Trends and Attrition

Global Capability Centres (GCCs) are expected to see the highest projected hikes at 10.4 per cent, followed by financial services (10 per cent), e-commerce (9.9 per cent), and life sciences and pharmaceuticals (9.7 per cent), the EY India report cited by PTI said.

Attrition eased to 16.4 per cent in 2025 from 17.5 per cent in 2024, with over 80 per cent of exits remaining voluntary. Financial services recorded the highest attrition at 24 per cent, followed by professional services (21.3 per cent) and Hi-Tech and IT (20.5 per cent). GCCs reported lower attrition at 14.1 per cent.

### **Long-Term Incentives and Leadership Pay**

Companies are also strengthening long-term incentive plans (LTIPs) to support retention and performance alignment. About 30 per cent run multiple LTIs, while ESOP adoption rose to 78 per cent in 2025 from 71 per cent in 2024. Nearly 75 per cent of National Stock Exchange of India (NSE) 200 companies offer LTIs, now a standard part of CEO compensation.

Median CEO pay in NIFTY 200 companies reached Rs 7–9 crore in 2025, up 12–15 per cent year-on-year. On average, 25–30 per cent of CEO pay is fixed, 25–30 per cent comes from short-term incentives, and 45–50 per cent from long-term incentives. COOs and CFOs are the next highest-paid roles. The report also noted that the implementation of India's new Labour Codes is prompting companies to reassess wage structures, payroll systems and statutory compliance frameworks.

---

## **Ministry of Corporate Affairs Notifies Companies Compliance Facilitation Scheme, 2026**

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has issued a circular, introducing the Companies Compliance Facilitation Scheme, 2026 (CCFS-2026).

The scheme provides a one-time compliance window for companies to regularise pending statutory filings with reduced additional fees and condonation of delay. It will remain operational from April 15, 2026 to July 15, 2026. Under the scheme, companies can file pending annual returns and financial statements with the MCA-21 registry. Alternatively, they may apply for dormant status or seek closure in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013.

### **Key Benefits Under CCFS-2026**

Under the scheme, companies and inactive entities have three options. First, they may complete pending annual filings by paying only 10 per cent of the total additional fees otherwise payable for delays. Second, they may apply to be declared a 'dormant company' under Section 455 of the Act by filing e-form MSC-1 and paying half of the normal fee prescribed under the rules. This allows inactive companies to remain on the register with minimal compliance obligations. Third, companies may apply for strike-off by filing e-form STK-2 during the currency of the scheme and paying only 25 per cent of the prescribed filing fees.

Through this calibrated relief measure, the government aims to provide companies a final opportunity to regularise defaults, reduce compliance costs, and strengthen the integrity and transparency of India's corporate registry.

### **Background and Rationale**

The Companies Act, 2013 mandates all companies to file annual returns and financial statements within prescribed timelines. Fees for filing documents are governed by Section 403 of the Act read with the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.

Since July 1, 2018, an additional fee of Rs 100 per day has been applicable for delays in filing annual returns and financial statements, without any upper limit, often resulting in significant financial burden for defaulting companies.

The MCA noted that the number of active companies in India has crossed 20 lakh, reflecting increased formalisation of the economy and growth among MSMEs, producer companies, One Person Companies (OPCs), and other new-age enterprises.

Representations from stakeholders highlighted difficulties faced by several companies, including MSMEs and private entities, in meeting annual compliance requirements on time, leading to mounting additional fees.

To address these concerns and promote ease of doing business, the Central Government, in exercise of powers under Section 460 read with Section 403 of the Act, has decided to condone delays through CCFS-2026.

The objective is to improve compliance levels, ensure that the corporate registry reflects accurate and updated information, and facilitate inactive or defunct entities to opt for dormancy or closure at reduced cost.

## Customs procedures must enable faster global market access for exporters: Revenue Secretary

Revenue Secretary said customs procedures must actively enable Indian exporters to access global markets with speed and certainty, with India's increased focus on expanding domestic manufacturing, and supporting MSMEs and entrepreneurs. Stating that the two mainstays of the customs reforms announced in Budget are "trust in stakeholders" and "effective use of technology", He said the Customs department will make efforts in building systems and enhancing capacities, both on the human resource as well as on the technology side. Speaking at the National Symposium on Customs Reforms-2026, He said the thought process of relationship between revenue department and stakeholder is changing such that instead of an authoritative and adversarial relationship "between the tax department and the industry, we are building a relationship of partnership, of collaboration, and of cooperation".

India today stands at an important juncture in its economic journey, he said, adding that expanding trade volumes, deeper integration into global value chains, growing digital commerce ecosystem, and the rising aspirations of citizens require governance systems that are efficient, transparent, and responsive. "Equally significant is the focus on export opportunities. As India seeks to expand manufacturing, and support MSME, digital entrepreneurs and startups, customs procedures must actively enable the exporters to access global markets, with speed and certainty," the Revenue Secretary said. He said that Customs administration is not merely a regulatory authority, but also an institution that enables economic growth, strengthens supply chains, protects society, and enhances India's global competitiveness. Observing that the tax department has started

putting draft rules in public domain for stakeholder consultation,. He said this also indicates open-mindedness that we are willing to listen and incorporate those suggestions which are to the good of everybody "This approach is not just about improving our systems. It is also about redefining the relationship between the authority, the tax department, and these stakeholders, which is the industry," he said.

Earlier this month, the tax department put in public domain the draft Rules and Forms under the new Income Tax Act, 2025, and sought stakeholder views. The new I-T Act, which will replace the Income Tax Act, 1961, will be rolled out on April 1. "As India progresses towards the vision of Viksit Bharat2047, efficient technology enabled border management would remain central to sustaining economic momentum. Customs reform, therefore, are not just isolated changes, but an integral component of national economic strategy," He said.

---